

प्रेस नोट-
थाना बड़ागाँव, झाँसी

दिनांक 29.08.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही क्रम में आज दिनांक 29.08.2025 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त लखपत पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम बिरगुवां थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उम्र करीब 51 वर्ष संबंधित केश न0- 1827/19 बनाम सोमदेव उर्फ सोमवीर अ0सं0 121/19 धारा 452, 354ए, 323, 504 भादवि में माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका के अनुपालन में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण – लखपत पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम बिरगुवां थाना बड़ागाँव जिला झाँसी उम्र करीब 51 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री संजय कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री अनुज यादव थाना बड़ागाँव जिला झाँसी
3. का0 1863 विकास कुमार थाना बड़ागाँव जिला झाँसी